सर्वश्रेष्ठ चालक के लिये 'सारथीश्री' पुरस्कार हेतु नियमावली

1. पुरस्कार हेतु संलग्न प्रारूप में आवेदन व्यावसायिक वाहन चालक के नियोक्ता द्वारा अनुशंसित होकर संबंधित परिवहन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. नियोक्ता द्वारा पुरस्कार हेतु केवल ऐसे व्यावसायिक वाहन चालक को अनुशंसित किया जावेगा, जिन्हें परिवहन यान चलाने हेतु न्यूनतम 15 वर्ष पूर्व चालन अनुज्ञप्ति जारी की गई हो, साथ ही उसका चयन **मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 17 एवं 19** (प्रति संलग्न) में वर्णित किये गये चालकों के कर्तव्यों, कृत्यों तथा आचरण की अपेक्षाओं के क्रम में सुनिश्चित किया जायेगा। चयनित आवेदक के आचरण के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
3. नियोक्ता द्वारा पुरस्कार हेतु चयनित आवेदक के चयन में यह ध्यान रखा जायेगा कि, उसे **केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21** के तहत कारित किसी अपराध के लिये उसके चालन जीवनकाल (Driving Life Period) में कभी दण्डित न किया गया हो, साथ ही **केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 22** के तहत किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध न ठहराया गया हो।
4. सारथीश्री पुरस्कार के चयन हेतु **संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल, नोडल अधिकारी** होंगे।
5. सारथीश्री पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ चालक के चयन हेतु, **राज्यस्तरीय चयन समिति** निम्नानुसार होगीः–

प्रमुख सचिव, परिवहन	– अध्यक्ष
परिवहन आयुक्त, म.प्र.	– सदस्य
अपर परिवहन आयुक्त (प्रर्व.) म.प्र.	– सदस्य
संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल म.प्र.	– सदस्य/सचिव

6. परिवहन अधिकारी उनके कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों का **मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 17 एवं 19** एवं **केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 एवं 22** के परिप्रेक्ष्य में समग्र परीक्षण कर, उनके क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ वाहन चालक का आवेदन पत्र, संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल की ओर अपनी अनुशंसा के साथ मूलतः प्रेषित किया जायेगा। अनुशंसा के पूर्व परिवहन अधिकारी द्वारा संबंधित वाहन चालक के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट का भी परीक्षण किया जावेगा।

7. संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल द्वारा, प्राप्त आवेदकों के आवेदन पत्रों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

8. चयन समिति द्वारा, उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये श्रेष्ठ चालकों में से – आयु, शैक्षणिक स्तर, सद्व्यवहार, आचरण तथा आवेदकों के व्यक्तिशः साक्षात्कार तथा समिति द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों के आधार पर एक चालक को सर्वश्रेष्ठ चालक के रूप में चयनित कर, सारथीश्री पुरस्कार हेतु अनुशंसा, माननीय परिवहन मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन को की जावेगी।

9. उपरोक्तानुसार, चयन समिति द्वारा चयनित चालक को शासन द्वारा **'सारथीश्री पुरस्कार'** से सम्मानित किया जावेगा।

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

मोटरयान चालक–परिचालक कल्याण योजना 2015

सर्वश्रेष्ठ चालक के लिये सारथीश्री पुरस्कार हेतु आवेदन का प्रारूप

समग्र पंजीयन क्र .....

स्थानीय निकाय जहॉ दर्ज है .....

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु. .....

आवेदक का मोबाईल नंबर .....

आवेदक के पिता का नाम श्री .....

जन्मतिथि अंको में .....

शैक्षणिक योग्यता .....

पता (अ) वर्तमान पता .....

.....

(ब) स्थाई पता .....

.....

स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण की स्थिति (चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे) .....

क्या धूम्रपान करते हैं ? ..... हॉ/ना

क्या मादक पदार्थो/शराब का सेवन करते हैं ? ..... हॉ/ना

अनुज्ञप्ति का विवरणः– (अ) अनुज्ञप्ति का प्रकार .....

(ब) जारी होने की तिथि .....

(स) वैधता की तिथि .....

(द) वाहन संचालन का अनुभव ..... वर्ष

1. यात्री वाहन (वाहन का प्रकार) .....संचालन अवधि
   दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
2. माल वाहन (वाहन का प्रकार) .....संचालन अवधि
   दिनांक ..... से दिनांक ..... तक

(यात्री वाहनों तथा माल वाहनों के प्रकार का उल्लेख करते हुए उन्हे किस अवधि से किस अवधि तक संचालित किया, का स्पष्ट विवरण अंकित किया जावे)

क्या कभी निम्नांकित प्रावधानों का उल्लंघन किया है ? स्पष्ट विवरण दिया जावे:–

1. विधि के अधीन प्रतिषिद्ध माल का परिवहन .....
2. निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता में माल का परिवहन .....
3. विनिर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति से यान चलाना .....
4. माल वाहन में व्यक्तियों को ले जाना .....
5. यात्रियों/आशयित यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार ओर अशिष्टता प्रदर्शित करना .....
6. मदिरा या मादक द्रव्य के प्रभाव में वाहन चलाना .....
7. वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना .....
8. किसी व्यक्ति को इस प्रकार बैठाना या किसी सामान को इस प्रकार रखना, जिससे ड्राईवर के सड़क को स्पष्ट रूप से देखने में बाधा उत्पन्न हो .....
9. कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के करने में मोटरयान का उपयोग .....

घोषणा:– मैं ..... शपथ पूर्वक यह घोषित करता हूँ कि, मुझे परिवहन यान चालन हेतु चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के दिनांक से आज दिनांक ..... तक चालन संबंधी किसी अपराध के लिये पुलिस/परिवहन विभाग द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है और न ही किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है।

स्थान: .....

दिनांक: .....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

संबंधित क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी की अनुशंसा .....

.....

दिनांक: .....

संबंधित परिवहन अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा